# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

**समक्षः एम0के0 सिंह**
**सदस्य**

प्रकरण कमांक निग0 2943–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनां 28.7.10 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 195/08–09/निग.

––––

बलदेव सिंह पिता श्री बालाजी
निवासी ग्राम धींगरखेड़ा
तहसील बागली जिला देवास म.प्र. ––––– आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा अपर तहसीलदार,
तहसील हाट पिपलिया जिला देवास म.प्र. ––––– अनावेदक

––––

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ।
अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से अधिवक्ता श्रीमती नीना पाण्डे ।

––––

:: आदेश ::

( आज दिनांक 09. फरवरी, 18 को पारित )

––––

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 195/08–09/निग. में पारित आदेश दिनांक 28–7–10 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को वर्ष 2000 में प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा दिया गया । आवेदक के भूमिहीन नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर ने जांच कराई और जांच में यह पाया कि पट्टाधारी भूमिहीन नहीं था । अतः उन्होंने पट्टा निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण शिकायत के आधार पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें यह बताया गया कि पट्टाधारी/आवेदक भूमिहीन नही है और इस कारण अपर कलेक्टर, देवास ने पट्टे को निरस्त किया इसके विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण में अपर आयुक्त ने जिलाध्यक्ष के आदेश को उचित और न्यायिक माना है । अपर आयुक्त के अनुसार चूंकि भूमि पट्टेदार के नाम राजस्व अभिलेखों में थी इस कारण उसे भूमिहीन नहीं माना जा सकता । अपर आयुक्त द्वारा आवेदक के इस तर्क को कि 20 वर्ष पूर्व उसने भूमि बेच दी थी और केता के पास पैसा न होने से रजिस्ट्री नहीं हो सकी, इस आधार पर अमान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है कि जब तक भूमि अंतरित नही होती तब तक भूमि जिसके नाम अभिलेख में अंकित है उसी की मानी जायेगी । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया है वह उचित और न्यायिक तथा तथ्यों के अनुरूप होने से पुष्टि योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

( एम. के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर